न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. कंचन पुत्र जीता जाति मीना निवासी ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 13.04.2005 जिसके तहत प्रार्थी कंचन पुत्र जीता को वाके ग्राम कौलाना में खसरा नं. 248 रकबा 0.11 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.11 है. भूमि का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः 19.02.2026

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा में अप्रार्थी कंचन पुत्र जीता जाति मीना निवासी ग्राम कौलाना तहसील बसवा को भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 0.11 है. दिनांक 13.04.2005 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 13.07.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2064—2067 के खाता संख्या 192 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का कौलाना से करवाई जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.08.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने तथा मौके पर भूमि पडत पडी हुई होना पाया गया। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने एवं भूमि मौके पर पडत पडी हुई होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने के कारण आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को बार—बार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी ना तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही जवाब पेश किया गया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। तत्पश्चात् एकतरफा कार्यवाही की जाकर राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 13.04.2005 को कंचन पुत्र जीता जाति मीना निवासी ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा को खसरा नम्बर 248 में से 0.11 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 13.07.2005 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 0.11 है. आवंटी कंचन पुत्र जीताराम जाति मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई है। जमाबन्दी सम्वत 2064—2067 के खाता संख्या 192 पर प्रार्थी का नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की शर्तो के अनुसार आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष की अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है किन्तु आवंटी का आवंटन शुदा भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा ना ही भूमि पर आवंटी द्वारा कोई काश्त की गई। पटवारी हल्का कौलाना की रिपोर्ट दिनांक 23.08.21 के अनुसार मौके पर कब्जा नहीं होना तथा मौके पर भूमि पडत पडी हुई है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जावे एवं उक्त आवंटित की गई भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

अति॰ जिला कलक्टर
दौसा

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार दिनांक 13.04.2005 को आवंटी कंचन पुत्र जीता जाति मीना निवासी ग्राम कौलाना, तहसील बसवा जिला दौसा को खसरा नम्बर 248 में से 0.11 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 13.07.2005 आवंटी कंचन पुत्र जीता जाति मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई है। जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 के खाता संख्या 192 पर अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.08.2021 के अनुसार गैर खातेदार कंचन पुत्र जीता को दिल्ली रहना बताया है तथा मौके पर आवंटी की भूमि पर दीगर व्यक्ति का कब्जा काश्त होना बताया है। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटी गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना एवं आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना व्यक्त करते हुये आवंटी का आवंटन आदेश दिनांक 13.04.2005 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 13.04.2005 बाबत् खसरा नं. 248 रकबा 0.11 है. ग्राम कौलाना तहसील बसवा बहक कंचन पुत्र जीताराम मीना निवासी कौलाना तहसील बसवा निरस्त किया जाता है। मूल आवंटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को प्रेषित की जावें एवं तहसीलदार बसवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला कलक्टर, दौसा